न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव, जिला बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी श्री प्रतापसिंह आई.ए.एस.)

राजस्व आवेदन सं. 273/2018
अन्तर्गत धारा 131,136 RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. अयुब खां पुत्र मलुक खां 2. निजाम खां पुत्र मलुक खां 3. मनहर खां पुत्र मलुक खां 4. रउफ खां पुत्र मलुक खां 5. समी पत्नि मलुक खां 6. इसाक पुत्र एलियास 7. जलाल पुत्र एलियास 8. मलार पुत्र एलियास 9. सालार पुत्र एलियास 10. मरियत पत्नि एलियास जातियान मुसलमान निवासी पाबूसरी तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर		1. देरावरसिंह पुत्र सतीदानसिंह 2. रेवन्तसिंह पुत्र सतीदानसिंह 3. गोरधनसिंह पुत्र सतीदानसिंह 4. मोहनकंवर बैवा सतीदानसिंह जातियान राजपुत निवासी पाबूसरी तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर 5. तहसीलदार गडरारोड़

उपस्थित :– श्री बृजमोहन कुमावत वकील प्रार्थीगण
राज पेरोकार तहसीलदार गडरारोड़

–: आदेश :–

दिनांक : 27.11.2019

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की खातेदारी खेत खसरा नम्बर 360 रकबा 23–09 बीघा ग्राम पाबूसरी पटवार क्षेत्र मेदूसर तहसील गडरारोड़ का आया हुआ है।

प्रार्थीगण के सेढ़ा सेढ़ विप्रार्थी सं. 1 से 4 का खेत आया हुआ। विप्रार्थीगण ने अपने खेत खसरा नम्बर 792/360 रकबा 23–09 बीघा भूमि की नेखमबंदी हल्का पटवारी से मिलिभगत कर राजस्व अभिलेखों में अपने रकबे से अधिक भूमि की तरमीम करवा दी जबकि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण का बराबर – बराबर रकबा है तथा मौके पर भी दोनो पक्षकार अपने – अपने हिस्सा की भूमि पर काबिज है। तथा इसी अनुसार मौके पर रहवासी ढाणिया, पशुबाड़े एवं काश्त करते आ रहे है। जिसके सम्बंध में प्रार्थीगण ने अरसा एक माह पुर्व अपने खेत की जमाबंदी नकल व नक्शा की प्रति पटवारी हल्का से प्राप्त की तो प्रार्थीगण को ज्ञात हुआ कि प्रार्थीगण के खेत की तरमीम हल्का पटवारी ने अपने रकबे से कम की है जो दुरूस्त करने का निवेदन किया तो विप्रार्थी सं. 5 ने प्रार्थीगण को श्रीमान न्यायालय के समक्ष तरमीम दुरूस्ती का आवेदन पेश करने की सलाह दी गई जिस पर प्रार्थीगण का यह आवेदन श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खेत की तरमीम दुरूस्त कि जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी सं. 1 से 4 की बाद तामिली रिपोर्ट प्राप्त बावजूद विप्रार्थी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार गडरारोड़ से प्रार्थीगण के खेत के सम्बंध में

उपखण्ड अधिकारी
शिव

Scanned by CamScanner

...न रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गडरारोड़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार विप्रार्थी ने तरमीम दुरूस्त किये जाने हेतु सहमति जाहिर की गई, साथ ही तहसीलदार गडरारोड़ ने अपने जवाब में बताया कि मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तैयार किये गये परिशिष्ठ 'ब' अनुसार प्रार्थीगण के खेत की तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी। तहसीलदार गडरारोड़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट व जवाब एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अध्ययन अवलोकन किया। तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण का कब्जा काश्त परिशिष्ठ 'ब' अनुसार है।

धारा 136 गलतियों का शुद्धिकरण – भू–अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध करवा सकेगा, जिनका अधिकार – अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस देख लें।

परन्तु जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख में किसी भी गलती को नोटिस किया जाये तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नही की जावेगी जब तक कि पक्षकारों को हेतुक दर्शित करने का नोटिस नहीं दे दिया गया हो।

तहसीलदार गडरारोड़ से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण का कब्जा काश्त वर्तमान नक्शा से भिन्न है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ 'ब' निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार गडरारोड़ निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के खेत की परिशिष्ठ 'ब' अनुसार तरमीम दुरूस्त करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 27.11.2019 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

(प्रतापसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव

उपखण्ड अधिकारी
शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.10 16:08:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: